



राजस्थान आवासन मण्डल, भिवाडी

भविष्य के बाजार में बनें, आप भी भागीदार

भिवाडी शहर की सुनियोजित आवासीय योजना सैक्टर 4 व 7 में 60मी. चौड़े मुख्य मार्ग पर स्थित व्यावसायिक भूखण्ड बी-1 एवं बी-2 की


भव्य खुली नीलामी

नीलामी दिनांक :-
25.02.2016 को दोपहर 2.30 बजे

नीलामी स्थल :-
कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान
आवासन मण्डल, खण्ड भिवाडी

आवासीय योजना अरावली विहार, भिवाडी

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	कॉर्नर/ सामान्य	क्षेत्रफल (व. मी.)	न्यूनतम बोली मूल्य (प्रति व. मी)	अमानत राशि
1	बी-1	कॉर्नर	1927.80	79000.00	5000000.00
2	बी-2	कॉर्नर	1927.80	79000.00	5000000.00



—: मुख्य विशेषताएं :-

- * भिवाडी की प्रतिष्ठित कॉलोनी के मुख्य भाग में सर्वसुलभ पहुंच में गौरव पथ पर स्थित।
- * दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मात्र 60 किमी. दूरी पर स्थित।
- * राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में स्थित।
- * नोट :- नीलामी की शर्तें मण्डल की वेबसाईट <http://www.rhonline.rajasthan.gov.in> पर एवं कार्यालय में देखी जा सकती हैं।

—: सम्पर्क सूत्र :-

परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ),
राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-भिवाडी
01493-230484, 09983993846

आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड भिवाडी
फोन: 01493-230484

राजस्थान आवासन मण्डल

गविष्य के बाजार में बनें, आप भी भागीदार

मिवाडी शहर की सुनियोजित आवासीय योजना सेक्टर 4 व 7 में 80मी. चौड़े मुख्य मार्ग पर स्थित व्यावसायिक मुखण्ड बी-1 एवं बी-2 की


नीलामी दिनांक
25.02.2016
को दोपहर
2.30 बजे

भव्य खुली नीलामी

नीलामी स्थल :-
कार्यालय आवासीय
अभियन्ता, राजस्थान आवासन
मण्डल, खण्ड मिवाडी

आवासीय योजना अरायली विहार, मिवाडी

क्र.सं.	मुखण्ड संख्या	कार्नर/सामान्य	क्षेत्रफल (व.मी.)	न्यूनतम बोली मूल्य (प्रति व.मी.)	अमानत राशि
1	बी-1	कार्नर	1927.80	79000.00	5000000.00
2	बी-2	कार्नर	1927.80	79000.00	5000000.00



:- मुख्य विशेषताएं :-

- मिवाडी की प्रतिष्ठित कॉलोनी के मुख्य भाग में सर्वसुलभ पहुँच में गौरव पथ पर स्थित।
- दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मात्र 80 किमी. दूरी पर स्थित।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में स्थित।
- नोट :- नीलामी की सर्तें मण्डल की वेबसाइट <http://www.rhbonline.rajasthan.gov.in> पर एवं कार्यालय में देखी जा सकती हैं।

परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ),

राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-मिवाडी

01493-230484, 06983993846

राज.सं.सं.वे/सी/15/8201

सम्पर्क सूत्र

आवासीय अभियन्ता

राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड मिवाडी

फोन: 01493-230484

—: नीलामी की शर्तें :-

1. प्रत्येक नीलामी में भाग लेने के लिए बोलीदाता को राशि रू. 10 करोड़ से कम मूल्य की सम्पत्ति हेतु न्यूनतम बिड मूल्य का 5 प्रतिशत अथवा 30 लाख रुपये जो भी कम हो अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी। राशि रूपये 10.00 करोड़ एवं अधिक मूल्य की सम्पत्ति हेतु न्यूनतम बोली मूल्य का 5 प्रतिशत अथवा 50.00 लाख जो भी कम हो अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी।
2. उच्चतम बोलीदाता को विक्रय मुल्य की 10 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा कराई गई राशि समायोजित करते हुए 72 घण्टे में जमा करानी होगी। यदि जमा कराने के अन्तिम दिन राजकीय अवकाश हो तो उसके आगामी कार्य दिवस में जमा करानी होगी।
3. शेष राशि मांग पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी। यदि बोलीदाता 60 दिवस में राशि जमा नहीं करता है तो जमा राशि जब्त कर ली जावेगी और बोली स्वतः निरस्त हो जावेगी।
4. बिड प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि/समय के पश्चात प्राप्त हुए मुहरबन्द बिड प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. बिड प्रस्ताव में यदि बिडदाता द्वारा किसी शर्त का उल्लेख किया जाता है, तो ऐसे सशर्त बिड प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. बिडदाता द्वारा परिसम्पत्ति की अंकों में व शब्दों में प्रस्तुत बिड दर/राशि में अन्तर होने की स्थिति में, शब्दों में उल्लेखित बिड दर/राशि ही मान्य होगी।
7. किसी एक अथवा समस्त बिड प्रस्तावों को बिना कारण बताए, निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार राजस्थान आवासन मण्डल के पास सुरक्षित है एवं इस सम्बंध में कोई वाद/विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
8. आवासीय भूखण्ड/व्यावसायिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/निर्मित आवास/निर्मित दुकान/निर्मित भवन "जहाँ है जैसे है" के आधार पर निस्तारित किए जायेंगे।
9. आवासीय भूखण्ड/व्यावसायिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/निर्मित आवास/निर्मित दुकान/निर्मित भवन का वास्तविक माप मौके पर उपलब्ध अनुसार ही अन्तिम होगा एवं तदनुसार ही गणना की जावेगी।
10. किसी परिसम्पत्ति हेतु प्राप्त मुहरबन्द बोली प्रस्तावों में से एक से अधिक बोलीदाताओं द्वारा समान दर प्रस्तुत करने की स्थिति में, समिति द्वारा मौके पर उपस्थित एक समान बोलीदाताओं से बन्द लिफाफे में उसी समय पुनः दर प्राप्त की जावेगी। जो कि पूर्व में प्रस्तुत दर से कम नहीं होगी। किसी बोलीदाता के मुहरबन्द बिड खोले जाने के समय पर अनुपस्थित रहने की स्थिति में उसका दरों के सम्बंध में किसी प्रकार का वाद मान्य नहीं होगा।
11. आवासीय भूखण्ड/निर्मित आवास के लिए लीज मनी की राशि आरक्षित दर की 2.5 प्रतिशत वार्षिक एवं व्यावसायिक भूखण्ड/निर्मित दुकान के लिए भूमि की आरक्षित दर की 5.0 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त रूप से देय होगी।
12. आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/1042/379 दिनांक 23.09.2013 के अनुसार संस्थानिक आवंटन में लीज राशि आवंटित दर पर ली जावेगी।

13. बिड के सम्बंध में राजस्थान आवासन मण्डल के नियमों/शर्तों में समय-समय पर किए गए संशोधन/संवर्धन मान्य होंगे।
14. नीलामी बोली के नियमों/शर्तों एवं अन्य जानकारी मेरे द्वारा सम्बंधित कार्यालय/मण्डल की वेबसाइट www.rhbonline.rajasthan.gov.in से प्राप्त कर ली गई हैं।
15. आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्ड एवं संस्थानिक हेतु प्रति वर्ग मीटर की दर से बिड प्रस्तुत करने के निर्देशों के विपरीत यदि बोलीदाता द्वारा सम्पूर्ण भूखण्ड की एकमुश्त कीमत बिड में भरी जाती है, तो ऐसी स्थिति में अन्य बोलीदाताओं की दरों से तुलना की दृष्टि से एकमुश्त कीमत को विज्ञप्ति में दर्शित भूखण्ड के क्षेत्रफल से विभाजित कर प्रति वर्ग मीटर दर निकाली जायेगी।
16. खुली बोली न्यूनतम 100.00 रुपये के गुणक में स्वीकार होगी परन्तु यह शर्त मोहरबन्द निविदा पर लागू नहीं होगी।
17. सेवाकर एवं अन्य कर नियमानुसार वसूलनीय होंगे।